नारायण सेवा संस्थान की लापरवाही से तीन मासूम विमंदित बच्चों की मौत के मामले मे.....

मानव चुप!!! सेवक चुप!!!

जिला कलेक्टर चुप!!! जिला पुलिस अधीक्षक चुप!!!

चिकित्सा विभाग चुप!!! बाल अधिकारिता विभाग चुप!!!

निदेशालय,विशेष योग्यजन चुप!!! सरकार चुप!!!

लेकिन जनता पूछ रही सवाल??

कब मिलेगा मृत बच्चो को न्याय?

चित्र प्रतिकात्मक

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/12 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 27 दिसम्बर 2021

नारायण सेवा संस्थान के प्रभाव के चलते तीन मासूम विमंदित बच्चों की मौत का कारण सरकारी फाइलों मे दफन!!!

विशेष रिपोर्ट-2

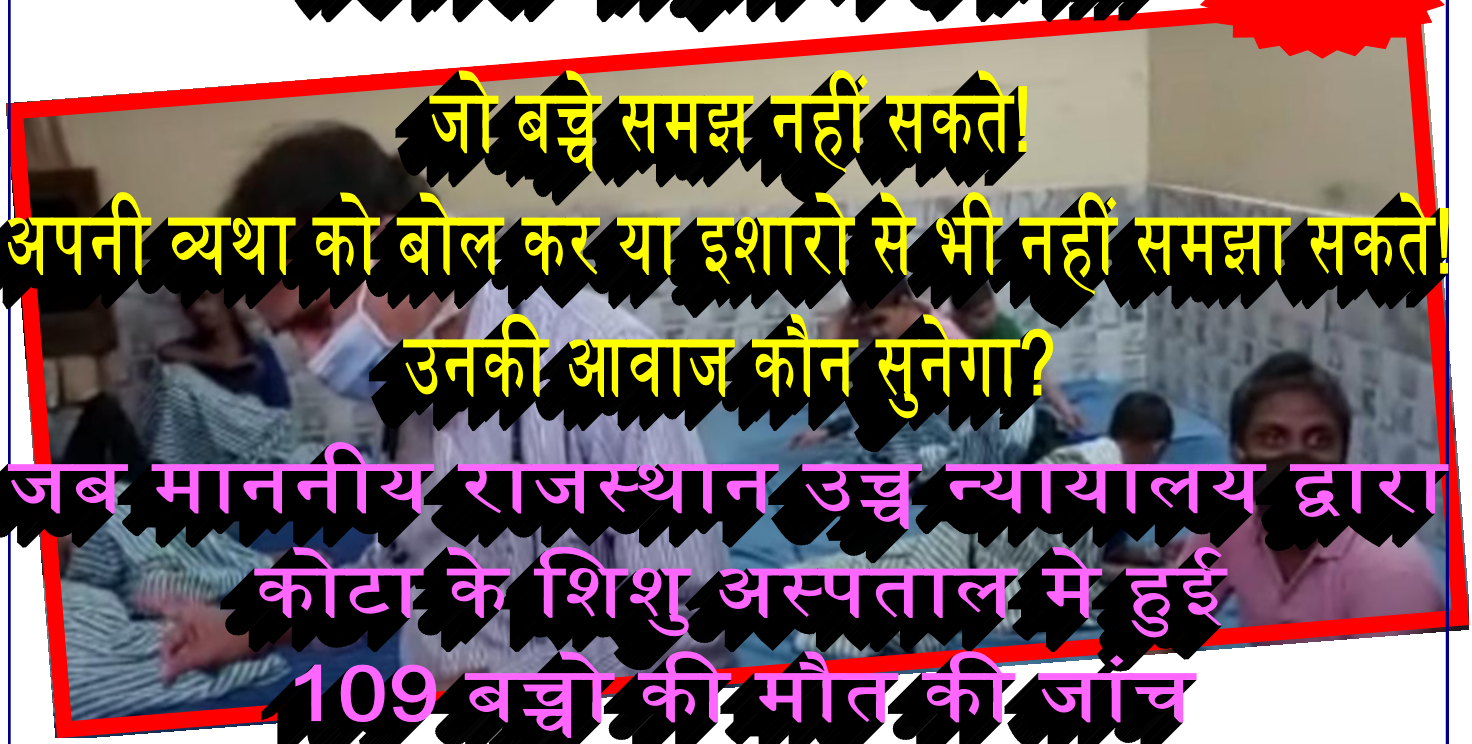

जो बच्चे समझ नहीं सकते!
अपनी व्यथा को बोल कर या इशारो से भी नहीं समझा सकते!
उनकी आवाज कौन सुनेगा?
जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोटा के शिशु अस्पताल मे हुई 109 बच्चो की मौत की जांच के आदेश दिये जा सकते है तो नारायण सेवा संस्थान मे 3 विमंदित बच्चो की जांच के क्यूँ नहीं?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नारायण सेवा संस्थान,उदयपुर मे तीन विमंदित बच्चों की मौत का मामला|

गत सितंबर माह मे राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्कूल/विमन्दित गृह में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था| इस घटना के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत मे आया और आनन फानन मे दो जांच कमिटियाँ गठित कर दी गयी|जिला प्रशासन के इस कदम से लगा कि अब इस मामले मे जिम्मेदार लोगो की खैर नहीं|लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा यह मामला भी सरकारी फाइलों मे दफन हो गया|सूत्रों के अनुसार इस मामले को रफा दफा करने के लिए संस्थान के कर्ता-धर्ताओं द्वारा अपने रसूखो का भरपूर दुरुपयोग किया गया|

पूरे मामले मे जिम्मेदार अधिकारियों ने साध रखी चुप्पी|

आपको बता दें कि इस मामले मे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दो जांच कमिटियाँ बनाई गयी थी|जिनमे से एक जांच बड़गांव एसडीओ द्वारा जांच की जा रही थी जबकि दूसरी जांच सीएमएचओ,उदयपुर द्वारा की जा रही थी|दोनों टीमों ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट कलेक्टर को पेश कर दी| मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि रिपोर्ट में साफ हो गया है कि विमंदित केंद्र में खाना बनाने और पीने के पानी में ईकोलाई बैक्टीरिया की उपलब्धता थी और सीवरेज सिस्टम के बोरवेल के करीब होने से पेयजल के दूषित होने की आशंका है|साथ ही केंद्र में अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ के होने से बच्चों की देख रेख सही नहीं हो पाई थी|

लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक इस मामले मे कोई ठोस कार्यवाही नारायण सेवा संस्थान के कर्ता-धर्ताओं के विरुद्ध नहीं हो पायी है|ऐसा लग रहा है मानो सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है|

पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला|

आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस ने दावा किया था कि वह इस मामले मे प्रभावी जांच कर रही है|लेकिन जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक इस मामले मे अम्बामाता पुलिस थाने द्वारा कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की है|इस मामले मे थानाधिकारी श्री दलपत सिंह से बात करने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया|लेकिन इतना जरूर बताया गया कि मृतकों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने पर एवं मृत्यु का कारण स्पष्ट होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी|

अंबामाता थाने द्वारा दिया गया जवाब|

।। कार्यालय पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर।।

कमांक :– 8685 दिनांक–12.11.2021

सेवामें,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला उदयपुर

विषयः– परिवाद राजस्थान संपर्क कमांक नं0 102106711284951 **द्वारा** GYANESH KUMAR(ज्ञानेश कुमार) R/O S-1,JHARKHAND APPARTMENT,JHARKHAND MOD
के सम्बन्ध मे ।

महोदयजी,

वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है प्रार्थी GYANESH KUMAR(ज्ञानेश कुमार) R/O S-1,JHARKHAND APPARTMENT,JHARKHAND MOD **का एक ओन लाईन परिवाद सीएम हेल्प लाईन कंमाक** 102106711284951 **का इस आ य का प्राप्त हुआ कि शि ाकायत कर्ता के द्वारा बताया गया कि** नारायण सेवा संस्थान ,उदयपुर(राज.) के पुनर्वास केंद्र मे हुई तीन विमंदित बच्चों की असमय मृत्यु के जिम्मेदार संस्थान के कर्ता-धर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर मृत बच्चों को न्याय दिलवाने एवं संस्थान को मिल रहे करोड़ो रुपए के सरकारी और गैर सरकारी चंदे/अनुदान/सहायता की विशेष ऑडिट करने बाबत व्यापक जन हित मे दर्ज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र| गत माह राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्कूल/पुनर्वास केंद्र में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था | बच्चों की मौत के बाद जिला कलक्टर श्री चेतन देवड़ा द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया था | इस टीम ने केन्द्र का निरिक्षण करते हुए वहां रखे खाद्य पदार्थों के 21 सेम्पल लिए, जिसमें से 14 सेम्पल में गड़बड़ी सामने आई है| इनमे से 11 सेम्पल मिस ब्रांड थे, दो सेम्पल अवधि पार के थे | वहीं, एक सेम्पल में स्टार्क की मात्रा अधिक पाई गई | इस रिपोर्ट को देखने के बाद साफ है कि संस्थान में बच्चों को पोष्टीक खाना देने की बजाए वहां पर निम्न गुणवता वाले खाद्य पदार्थों को उपयोग किया जा रहा है | रिपोर्ट में साफ है कि विमंदित केंद्र में खाना बनाने और पीने के पानी में ईकोलाई बैक्टीरिया की उपलब्धता थी और सीवरेज सिस्टम के बोरवेल के करीब होने से पेयजल के दूषित होने की आशंका है | साथ ही जांच रिपोर्ट में पता चला है कि केंद्र में अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ के होने से बच्चों की देख रेख सही नहीं हो पाई थी | 8. जानकारी के अनुसार संस्थान द्वारा केंद्र की कई योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है,जैसे कि समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग,भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा हर साल करोड़ो रुपए का अनुदान ADIP स्कीम के तहत निर्धन/एससी/एसटी/कमजोर वर्गों की विकलांगता को कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा दूर करने के लिए जारी किए जाते है |इनके अलावा भी विभाग की दिव्यांग जन स्वावलंबन योजना,दीनदयाल निशक्तजन पुनर्वास योजना(DDRS),सुगम्य भारत अभियान के तहत अनुदान उठाया जाता है साथ ही साथ संस्थान द्वारा राज्य सरकार की भी कई योजनाओं के तहत अनुदान उठाया जाता है|इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद संस्थान के कर्ता-धर्ताओ द्वारा पारदर्शिता पर ताला लगाते हुए , अपनी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती|

बगैरा रिर्पोट प्राप्त होने पर अबलोकन किया गया जिससे परिवाद मे अकित तथ्यो के सन्दर्भ मे पुर्व मे भी थाना हाजा पर मर्ग सं0 31/21 दिनांक 19.9.21 ,32/21 दिनांक 22.9.21 व मर्ग सं0 33/21 दिनांक 25.9.21 धारा 174 जाफो मे दर्ज हो जैर जॉच है उक्त परिवाद के सम्वन्ध मे श्रीमान एस डी ओ सहाव बडगॉव द्वारा भी जॉच की जा रही है। व उक्त परिवाद मे मृतक बालको का पीएम कराया गया । मृतको की पीएम रिर्पोट प्राप्त की गई व मृतक के लिए गये विसरा की एफएसएल जॉच कराने हेतु विधि विज्ञान प्रयोग भाला मे भेजा गया है व जुरिश्ट महोदय द्वारा भी उक्त अज्ञात मृत बालको की डीएनए सेम्पल व अन्य जॉच सम्बन्धी सेम्पल लिए गये है। मृतक की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जॉच रिर्पोट आने पर मृतको की मृत्यु का कारण स्पश्ट होने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी । एवं वहा से खाद्यय विभाग से ली गई सेम्पल की कोई रिपोर्ट कार्यवाही हेतु थाने पर प्राप्त नही हुई है। जॉच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेशित है।

भवदीय

थानाधिकारी थाना अम्बामाता
जिला उदयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
स्वास्थ्य भवन ,तिलक मार्ग, राजस्थान सरकार
e-mail: sno-nmhp-rj@gov.in

क्रमांक/एनएचएम/एनएमएचपी/एसएनओ/सीएमआईएस/2021/326 दिनांक:– 07/12/2021

अतिरिक्त निदेशक,
निदेशालय, विशेष योग्यजन,
अम्बेडकर भवन, राजमहल, जी–3/1,
परिवहन मार्ग, रेजीडेन्सी एरिया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नारायण सेवा संस्थान उदयपुर (राजस्थान) के पुर्नवास केन्द्र मे हुई 3 विमंदित बच्चों की असमय मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– श्री ज्ञानेशकुमार चीफ एडिटर जवाब दो सरकार के पत्रांक जेडीएस/पीआईएल/2021/180 दिनांक 19.10.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र श्री ज्ञानेशकुमार चीफ एडिटर जवाब दो सरकार के पत्रांक जेडीएस/पीआईएल/2021/180 दिनांक 19.10.2021 के द्वारा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर (राजस्थान) के पुर्नवास केन्द्र मे हुई 3 विमंदित बच्चों की असमय मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में शिकायत भेजी है। (संलग्न)

प्रकरण आपके विभाग से सम्बन्धित है अतः मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

07/12/21
(डॉ० विरेन्द्र कुमार)
राज्य नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक जन स्वा0 निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक/विशेषाधिकारी, एनएचएम/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम/ नोडल अधिकारी वर्टिकल प्रोगाम एनएचएम।
4. संयुक्त निदेशक आरपीजी/सीएमआईएस मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
5. श्री ज्ञानेशकुमार चीफ एडिटर जवाब दो सरकार एस–1, द्वितीय तल, झारखंड अपार्टमेन्ट, झारखंड महादेव मोड, जनरल सगतसिंह मार्ग, खातीपुरा – 302012 (jawabdosarkar01@gmail.com)
6. प्रभारी सर्वर रुम ई–मेल हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य का[illegible]

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,चिकित्सा विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा इस शिकायत पर कार्यवाही करने की बजाय इसे निदेशालय विशेष योग्यजन,राजस्थान सरकार को भेज दी गयी|

निदेशालय विशेष योग्यजन,राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं जांच नहीं कर शिकायत जिला कलेक्टर को प्रेषित कर,उनसे उनके द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी मांगी जा रही है|

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक एफ 9( ) ( )/अनुदान/नि.वि.यो. 2020/17433 जयपुर, दिनांक 10/11/2021

जिला कलक्टर,
उदयपुर।

विषय : नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में बच्चों के [illegible] होने एवं दो बच्चों की मृत्यू होने की घटना की जांच कराने हेतु आप द्वारा गठित [illegible] की रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।
प्रसंग : श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर, जवाब दो सरकार पोर्टल के पत्रांक 180 दिनांक [illegible] 2021 एवं श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड, राजस्थान प्रमुख, विकलांग जन क्रांति सेना जयपुर [illegible] पत्रांक 229/21 दिनांक 22.09.2021 के क्रम में।

अनोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से श्री ज्ञानेश कुमार, चीफ एडिटर, जवाब दो स[illegible] [illegible] खातीपुरा जयपुर एवं श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड, राजस्थान प्रमुख, विकलांग जन क्रांति सेना जयपुर [illegible] आपके जिले में निदेशालय विशेष योग्यजन से अनुदानित स्वयंसेवी संस्था नारायण सेवा संस्थान, उ[illegible] द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में बच्चों के बीमार होने एवं दो बच्चों की मृत्यु [illegible] के जिम्मेदार व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाते हुए आपसे निवेदन है कि [illegible] की प्रशासनिक जांच कराने हेतु आप द्वारा दिनांक 23.09.2021 को एक जांच समिति का [illegible] किया गया था, उक्त जांच समिति की रिपोर्ट एवं उसके आधार पर आप द्वारा की गई कार्यवाही [illegible] निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

(गजानन्द शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक एफ 9( ) ( )/अनुदान/नि.वि.यो./2020/17434-39 जयपुर, दिनांक 10/11/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी क्रमांक [illegible] दिनांक 27.10.2021 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साव्याअवि, शासन सचिवालय जयपुर को डायरी क्रमांक 5852 दिनांक 27.10.2021 एवं डायरी क्रमांक 5949 दिनांक 27.10.2021 के क्रम में।
3. उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर।
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी, आयुक्तालय विशेष योग्यजन को पत्रांक 1265-67 दिनांक 23.09.2021 [illegible] क्रम में।
5. श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड, राजस्थान प्रमुख, विकलांग जन क्रांति सेना, 698 एराडी 164 के सामने [illegible] नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।
6. श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर, जवाब दो सरकार, एस-1, सैकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड महादेव मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक

4	Directorate of Specially Abled Persons , Deputy Director , (Administration) , Deputy Director, SAP Udaipur	, , ,	Partially Special Closed	29-Oct-2021	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के पुर्नवास केन्द्र में हुई तीन विमंदित बच्चों की मृत्यु के संबंध में जिला कलक्टर महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समन्वयक के आधार पर कमेटी का गठन कर जांच करवायी गयी जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अग्रेषित की गयी है। टीम द्वारा लिये गये सैंपल की रिपोर्ट व पानी की रिपोर्ट की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है। व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई। नारायण सेवा संस्थान को प्राप्त होने वाले चन्दे/सहायता की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।संस्थान में मानसिक विमंदित बच्चों हेतु गृह के अतिरिक्त निराश्रित बाल गृह (बाल अधिकारिता विभाग) अन्तर्गत व मूक बधिर आवासीय विद्यालय के बच्चे भी आवासित है। वर्तमान में गृह अन्तर्गत पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त संचालित गृहों के अतिरिक्त अन्य किसी योजना में लाभ नहीं दिया जाता हैं। शेष योजनाएं भारत सरकार अन्तर्गत संचालित /अनुदानित है।

निदेशालय विशेष योग्यजन,राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया जवाब|जिसमे बताया गया कि संस्थान द्वारा संचालित विमंदित गृहों के पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है|

जिम्मेदार बेपरवाह!डायरेक्ट्रेट ऑफ स्पेशली अबल्ड पर्सन्स विभाग,राजस्थान सरकार और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नहीं करवायी गयी कोई जांच

सरकारी नियमों के अनुसार नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित इस विमन्दित गृह का संचालन डायरेक्ट्रेट ऑफ स्पेशली अबल्ड पर्सन्स विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडो के अनुसार ही किया जा सकता है|विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार संस्थान द्वारा डायरेक्ट्रेट ऑफ स्पेशली अबल्ड पर्सन्स विभाग,राजस्थान के अंतरगर्त मानसिक विमन्दित बच्चो हेतु गृह के अलावा बाल अधिकारिता विभाग,राजस्थान के अंतरगर्त निराश्रित बल गृह और मुक बधिर आवासीय विद्यालय का भी संचालन किया जाता है|लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन दोनों विभागो द्वारा अपने स्तर पर कोई जांच नहीं करवायी गयी|बल्कि जांच का सारा दारोमदार जिला कलेक्टर पर डाल दिया|इतना ही नहीं डायरेक्ट्रेट ऑफ स्पेशली अबल्ड पर्सन्स विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा तो नारायण सेवा संस्थान को क्लीन चिट देते हुए यह तक कह दिया कि संस्थान मे पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है जबकि जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं यह माना गया गया है कि बच्चो की मौत का एक कारण विमन्दित गृह मे अपर्याप्त मेडिकल स्टाफ का होना भी है|

जो बच्चे समझ नहीं सकते!अपनी व्यथा को बोल कर या इशारो से भी नहीं समझा सकते!उन्हे न्याय कौन दिलायेगा?

सबसे दुखद बात यह है कि यह दुर्घटना उन असहाय बच्चो के साथ हुई है जो अपनी व्यथा को बोल कर या इशारो से भी नहीं समझा सकते|इन लोगो को उनके परिवार द्वारा भी बोझ समझ कर अपनी किस्मत के हवाले कर दिया जाता है|ऐसे मे सवाल यह उठता है कि इन बेजुबान मृत बच्चो को कौन न्याय दिलाएगा?हमारे द्वारा इस मामले को प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया लेकिन इसके बावजूद घटना के तीन महीने बाद भी इस मामले मे कोई कार्यवाही होती नहीं दिख रही|

आखिर क्यूँ चुप है मानव और सेवक?

अमुमन नारायण सेवा संस्थान के कर्ता धर्ता बड़े-बड़े टीवी चैनलों पर मानव और सेवक के नाम से अपनी संस्था का प्रचार करते देखे जा सकते है|लेकिन यह प्रबुद्ध जन अपने द्वारा संचालित स्कूलो/होस्टलों/विमन्दित गृहों की बदहाल स्थिति पर चुप्पी साधे बैठे है|हालांकि घटना के बाद प्रशांत अग्रवाल द्वारा कुछ टीवी चैनलों पर घटना के बारे मे स्पष्टिकरण देने के प्रयास किए गए|लेकिन इन बेजुबान बच्चो की मौत के आगे ऐसे स्पष्टिकरण मात्र सफाई पेश करते ही प्रतीत होते है|

जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोटा के शिशु अस्पताल मे हुई 109 बच्चो की मौत की जांच के आदेश दिये जा सकते है तो नारायण सेवा संस्थान मे 3 विमंदित बच्चो की जांच के क्यूँ नहीं?

जैसा कि आपको विदित होगा कि वर्ष 2019 मे कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल मे सरकारी लापरवाही और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव मे 109 नवजात काल का ग्रास बन गए थे|

लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद तत्कालीन जांच कमिटी ने घटना को सामान्य बताते हुए किसी प्रकार की लापरवाही से साफ इंकार कर दिया गया था|

लेकिन इस मामले मे एक जागरूक नागरिक डा. मिथिलेश कुमार गौतम ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे जन हित याचिका दायर की थी|जिस पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पाँच चिकित्सको की टीम का गठन कर एक माह मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये|

देखा जाए तो नारायण सेवा संस्थान के विमन्दित गृह मे संस्थान की लापरवाही से हुई मौतों पर भी इसी तरह हमारा सरकारी सिस्टम पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है|लेकिन बात 109 नवजात बच्चो की हो या फिर 3 विमन्दित बच्चो की हो,सिस्टम को जवाब देना ही पड़ेगा|अन्यथा डा. मिथिलेश कुमार गौतम जैसे किसी अन्य जागरूक नागरिक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा|

कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2019 की घटना

कोटा में नवजात बच्चों की मौत का कारण जांचेगी पांच चिकित्सकों की टीम

हाईकोर्ट ने दिए आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. कोटा में जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में दिसंबर 2019 में सौ से अधिक नवजात बच्चों की मौत का कारण जानने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। कमेटी में तीन बाल रोग विशेषज्ञों के साथ एम्स जोधपुर के दो चिकित्सकों को शामिल करने को कहा है। कमेटी को एक महीने में रिपोर्ट देनी होगी।

डॉ. मिथिलेश कुमार गौतम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा कि दिसंबर, 2019 में कोटा के जेके लोन अस्पताल में करीब 109 नवजात शिशुओं की मौत हुई। सरकारी अस्पताल में शिशुओं के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। आवश्यक संसाधन, वेंटीलेटर और वार्मर भी खराब पड़े थे। आइसीयू के शीशे टूटे होने के कारण बच्चों को सर्दी भी झेलनी पड़ रही थी। इसी वजह से बच्चों की मौत हुई। राज्य सरकार की ओर से एएजी गणेश परिहार ने कहा कि मरने वा अधिकांश बच्चों का पूर्व में नि अस्पताल में इलाज चल रहा थ उनके परिजनों ने अति गंभीर होने प बच्चों को जेके लोन में भर्ती करा था। अस्पताल में संसाधनों की क कमी नहीं थी। गंभीर हालत में भ कराने के चलते उन्हें बचाया न जा सका। इस पर न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनं कुमार भारवानी ने पांच डॉक्टर्स क कमेटी का गठन कर एक माह जांच करने के आदेश दिए।

सरकार ने दी थी क्लीन चिट

मामला का खुलासा होने के बाद इसकी जांच के लिए चार डॉक्टर्स की कमेटी का गठन किया था। जिसकी रिपोर्ट में घटना को सामान्य बताते हुए डॉक्टरों की ओर से किसी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया था। अस्पताल के सारे उपकरण सुचारू बताते हुए अस्पताल की लापरवाही से इनकार कर दिया था।

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्यूँ निदेशालय,विशेष योग्यजन और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा इस मामले मे चुप्पी साध रखी है?जबकि नारायण सेवा संस्थान या अन्य किसी दूसरे किसी एनजीओ द्वारा राज्य सरकार के इन्ही विभागो द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मानसिक विमन्दित बच्चो हेतु पुनर्वास गृह,निराश्रित बच्चो हेतु निराश्रित बल गृह और मुक बधिर आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा सकता है|इतना ही नहीं इन इन विभागो द्वारा एक मोटी रकम का भुगतान भी नारायण सेवा संस्थान या इस जैसी संस्थाओ को सालाना किया जाता है|
2. नारायण सेवा संस्थान द्वारा निदेशालय,विशेष योग्यजन और बाल अधिकारिता विभाग से किन किन मदों मे,कितने समय से,कितनी राशि सालाना उठाई जाती है?संस्थान की लापरवाही से जिस विमन्दित गृह मे इन तीन बच्चो की मौत हुई उस विमन्दित गृह के संचालन के लिए पिछले पाँच सालों मे कितने पैसे उठाए गए?
3. क्या इस मामले मे जिम्मेदारों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज करवाने की ज़िम्मेदारी विशेष योग्यजन और बाल अधिकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नहीं है?
4. आखिर किस आधार पर निदेशालय,विशेष योग्यजन द्वारा यह जवाब दिया गया कि संस्थान मे पर्याप्त मेडिकल स्टाफ मौजूद है?जबकि जिला कलेक्टर महोदय,उदयपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट मे बताया गया है कि संस्था मे योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है|
5. क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए गए सेंपल की जांच के अनुसार संस्थान निम्न गुणवत्ता वाले अखाद्य पदार्थों का उपयोग कर रही है?क्या यह सही है कि विमंदित केंद्र में खाना बनाने और पीने के पानी में ईकोलाई बैक्टीरिया की उपलब्धता थी और सीवरेज सिस्टम के बोरवेल के करीब होने से पेयजल दूषित हो रहा है?
6. जब चिकित्सा विभाग का सीएमएचओ दूषित मावा पकड़े जाने पर किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकता है तो इन तीन मासूम विमन्दित बच्चो की मौत के मामले मे क्यूँ नहीं?
7. क्या पुलिस-प्रशासन को मृतकों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट/विसरा रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है?
8. जब पुलिस विभाग को बिना किसी परिवादी के स्वयं के स्तर पर किसी अपराध की एफ़आईआर दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है तो तो इन तीन मासूम विमन्दित बच्चो की मौत के मामले मे क्यूँ एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा रही?
9. क्या नारायण सेवा संस्थान द्वारा बच्चों की मौत के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है?आखिर क्यूँ दुनिया की नजरों मे महमानव कहलाने वाले नारायण सेवा संस्थान के मुख्य कर्ता-धर्ता श्री कैलाश अग्रवाल 'मानव' इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे है?आखिर क्यूँ अपने आप को दीन दुनिया का सेवक कहलाने वाले नारायण सेवा संस्थान के संचालक श्री प्रशांत अग्रवाल 'सेवक' अपनी संस्था की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बहाने बना रहे है?
10. क्या अब इस मामले मे भी जागरूक नागरिकों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी?